




एल०एल०बी० प्रथम सत्रार्द्ध पाठ्यक्रम

(LL.B I Semester Syllabus)



1. Contract - I (संविदा विधि - I)

(General Principles of Law of Contracts & Specific Relief)

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 1 से 75

Sections 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1872

इकाई (Unit)	विषय वस्तु (English)	विषय वस्तु (Hindi)
Unit-I	Meaning, Nature of Contract; Agreement & Kinds; Proposals and Acceptance; Consideration.	संविदा का अर्थ और प्रकृति; करार एवं उसके प्रकार; प्रस्ताव और स्वीकृति; प्रतिफल (Consideration)।
Unit-II	Capacity to Contract; Free Consent: Coercion, Undue Influence, Fraud, Mistake; Legality of Objects.	संविदा करने की क्षमता; स्वतंत्र सहमति: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, भूल; उद्देश्यों की वैधता।
Unit-III	Discharge of Contract; Doctrine of Frustration; Quasi-contracts.	संविदा का निर्वहन; नैराश्य का सिद्धांत (Doctrine of Frustration); अर्ध-संविदा (Quasi-contracts)।

2. Law of Torts & Consumer Protection (अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण)

इकाई (Unit)	विषय वस्तु (English)	विषय वस्तु (Hindi)
Unit-I	Definition, Nature and Scope of Tort; General Defenses: Volanti non fit injuria, Act of God.	अपकृत्य की परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र; सामान्य बचाव: अपनी सहमति से हुई क्षति, दैवीय घटना।
Unit-II	Remoteness of Damage; Vicarious Liability; Torts against Persons: Assault, Battery, Defamation.	क्षति की दूरस्थता; प्रतिनिधिक दायित्व; व्यक्तियों के विरुद्ध अपकृत्य: हमला, प्रहार, मानहानि।
Unit-III	Negligence; Nuisance; Malicious Prosecution; Absolute Liability.	उपेक्षा (Negligence); उपताप (Nuisance); विद्वेषपूर्ण अभियोजन; पूर्ण दायित्व।
Unit-IV	Consumer Protection Act 1986: Redressal Agencies; Motor Vehicle Act 1988: Compulsory Insurance.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986: निवारण एजेंसियां; मोटर वाहन अधिनियम 1988: अनिवार्य बीमा।

3. Constitutional Law - I (संविधान विधि - I)

इकाई (Unit)	विषय वस्तु (English)	विषय वस्तु (Hindi)
Unit-I	Salient Features of Indian Constitution; Nature and Preamble of the Constitution.	भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं; संविधान की प्रकृति और प्रस्तावना।
Unit-II	Fundamental Rights: Article 12 to Article 21A.	मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 21A तक।
Unit-III	Fundamental Rights: Article 22 to 32; Directive Principles (DPSP); Fundamental Duties.	मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 22 से 32; राज्य के नीति निर्देशक तत्व; मौलिक कर्तव्य।
Unit-IV	Executive (Union); Legislature (Union and State).	कार्यपालिका (संघ); विधायिका (संघ और राज्य)।

4. Family Law - I: Hindu Law (पारिवारिक विधि - I)

विषय वस्तु (English)	विषय वस्तु (Hindi)	
Unit-I	Sources of Hindu Law; Marriage under Hindu Marriage Act 1955; Matrimonial Remedies: Divorce, Nullity.	हिंदू विधि के स्रोत; हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह; वैवाहिक उपचार: तलाक, शून्यता।
Unit-II	Maintenance under HMA 1955 and HAMA 1956; Adoption: Essential conditions and Legal effects.	हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण-पोषण; गोद लेना।
Unit-III	Hindu Joint Family & Coparcenary; Position of Karta; Partition under Mitakshara School.	हिंदू संयुक्त परिवार और सहदायिकी; कर्ता की स्थिति; मिताक्षरा स्कूल के तहत विभाजन।
Unit-IV	Hindu Succession Act 1956: Succession to property of Male and Female; Disqualification.	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956: पुरुष और महिला की संपत्ति का उत्तराधिकार; अयोग्यताएं।

5. Criminal Law: BNS(अपराध विधि - भारतीय न्याय संहिता)

विषय वस्तु (English)	विषय वस्तु (Hindi)	
Unit-I	Concept of Crime; Elements of Criminal Liability (Mens Rea); Stages of Crime; General Exceptions.	अपराध की अवधारणा; आपराधिक दायित्व के तत्व (दुराशय); अपराध के चरण; सामान्य अपवाद।
Unit-II	Common Intention; Abetment; Criminal Conspiracy; Unlawful Assembly; Right of Private Defense.	सामान्य आशय; दुष्प्रेरण; आपराधिक षड्यंत्र; गैरकानूनी जमाव; निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।
Unit-III	Offenses against Human Body: Culpable Homicide, Murder, Kidnapping, Abduction.	मानव शरीर के विरुद्ध अपराध: आपराधिक मानव वध, हत्या, व्यपहरण, अपहरण।
Unit-IV	Offenses against Property: Theft, Extortion, Robbery, Dacoity; Defamation.	संपत्ति के विरुद्ध अपराध: चोरी, जबरन वसूली, लूट, डकैती; मानहानि।

QUZECSA

"आपकी समस्या, हमारा समाधान - बस एक संदेश की दूरी पर"

 [शब्द साहित्य संस्था डिजिटल पेज](#)

- आधिकारिक वेबसाइट : shabdsahity.com

- यूट्यूब चैनल: youtube.com/@Shabdsahity

🗨️ व्हाट्सएप (WhatsApp) लिंक

- व्हाट्सएप ग्रुप: [यहाँ क्लिक कर जुड़ें](#)
- व्हाट्सएप चैनल: [फॉलो करें](#)
- लिंक: [सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें](#)

2. अरत्तई (Arattai) संपर्क

Arattai ऐप पर जुड़ने के लिए इस लिंक का उपयोग करें:

- लिंक: [Arattai पर चैट करें](#)

📱 सोशल मीडिया लिंक

- टेलीग्राम (Telegram): t.me/shabdsahity
- इंस्टाग्राम (Instagram): shabd.sahity
- ट्विटर (X): x.com/shabdsahity17
- फेसबुक ग्रुप: [FB Group Join](#)
- फेसबुक पेज: [Kumaunimanch Page](#)

संपर्क सूत्र:

- संस्थापक: विक्रम सिंह नेगी
- सह संस्थापक: भावना भट्ट
- मोबाइल/Arattai: 9458174361

✉️ ईमेल: shabdsahity@gmail.com

